राजस्थान आवासन मण्डल:: जयपुर

अधिसूचना

राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी (महिला एवं पदोन्नति) विनियम—2010 के संकेत—ए—जनरल विंग (मंत्रालयिक सेवा) में चतुर्थ श्रेणी सेवा (हेल्पर) से कानिच्छ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में राजस्थान सरकार कि अधिसूचना क्रमांक F.7(2)DOP/A-II/2006 दिनांक 06.07.2010 के प्रावधानुसार राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी (महिला एवं पदोन्नति) विनियम—2010 की अनुसूची के संकेत—ए—जनरल विंग (मंत्रालयिक सेवा) संरचन के क्रम संख्या 4 के कार्यक योग्यता 6 में संशोधन कर Secondary के स्थान पर Senior Secondary प्रतिस्थापित करते हुये निम्न प्रकार से पदोन्नति हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्रतिस्थापित की जाती है :—

## Schedule

<table>
<thead>
<tr>
<th>S. No.</th>
<th>Name of post</th>
<th>Method of Recruitment with percentage</th>
<th>Minimum Qualification &amp; experience for direct recruitment</th>
<th>Post from which promotion is to be made</th>
<th>Minimum Qualification required for promotion</th>
<th>Remark</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4A.</td>
<td>Junior Assistant</td>
<td>75% Direct recruitment 25% Promotion</td>
<td>Senior Secondary of a recognised Board with Basic Knowledge of computer operation</td>
<td>Class -IV Service</td>
<td>Senior Secondary from a recognised Board or its Equivalent Examination. and “O” or Higher Level Certificate Course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics, Government of India. Or Computer Operator &amp; Programming Assistant (COPA) Data Preparation and Computer Software (DPCS) Certificate organized under National/State Council of Vocational Training Scheme. Or Diploma in Computer Science &amp; Engineering From a polytechnic institution recognised by the Government.</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

SHER SINGH/E/Office Work/Office Order
उक्त आदेश स्थान स्तर से अनुमोदित है।

(राजीव जैन)
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-
1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/विभाग एवं मुख्यलेखाधिकारी,राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियंता ........................................................... राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. उप आवासन आयुक्त वृत-........................................................... राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. आवासीय अभियंता खण्ड- ........................................................... राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. समस्त प्रक्रिया ................................................................. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. नोटिस बोर्ड/रक्षित पत्रावली।

का००७०१-
बरिष्ट कार्यिक प्रबन्धक
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक—प.1(1)कार्यक्षेत्र /क्रिया /वोली235.07 /2018 /4507 दिनांक — 24/3/18

:: कार्यालय आदेश ::

संचालक मण्डल की 235वीं बैठक दिनांक 08.02.2018 के बिनु संख्या 235.07 के निर्णयानुसार राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी (भर्ती एवं पदोन्नति) विभाग-2010 के संबंधन—ए—जनरल विभ (मंत्रालयिक सेवा) में कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित प्राक्षेत्रों में वर्कचार्ज संवर्ग से कनवर्जन हेतु नियत अभ्यास को पदोन्नति हेतु नियत अभ्यास में सममितित करते हुये निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

SECTION 'A' MINISTERIAL SERVICE

<table>
<thead>
<tr>
<th>S. No</th>
<th>Name of the Post</th>
<th>Method of Recruitment with percentage</th>
<th>Minimum Qualification &amp; Experience for direct recruitment</th>
<th>Post from which promotion is to be made</th>
<th>Minimum Qualification and experience required for promotion</th>
<th>Remarks</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Junior Assistant</td>
<td>75% Direct recruitment 25% promotion</td>
<td>Senior Secondary of a recognised Board with basic knowledge of computer operation</td>
<td>Class-IV service</td>
<td>Secondary from recognised Board. with 5 years. Experience on the post of mention in column No. 5</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

:: संचालक मण्डल के निर्णयानुसार यदि—कनवर्जन कोटा समाप्त किया जा चुका है तथा प्राक्षेत्र संवर्ग से कोई कार्यक कनवर्जन द्वारा कनिष्ठ सहायक बनना चाहता है, तो उसे प्राथमिकता दी जाये।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(अनिल कुमार काशीक) सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु वर्ष विभक्तक :

1. निजी सचिव—अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियंता—मूल/1/ग, रा.आ.म., जयपुर।
2. निजी सचिव—सचिव/विभ. एवं मुख्य लेखाधिकारी, रा.आ.म., जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियंता—.............., रा.आ.म., ..............।
4. उप आवासन आयुक्त, वृृत—.............., रा.आ.म., ..............।
5. आवासीय अभियंता, खण्ड—.............., रा.आ.म., ..............।
6. समस्त प्रकोष्ठ—(हृ.) रा.आ.म., जयपुर।
7. नोटिस बोर्ड/रक्षत पत्रावली।

वरिष्ठ कार्यक प्रबन्धक